

अनवान जगनाराम व अन्य बनाम जोधाराम व अन्य  
वाद पत्र संख्या 498 / 2013

25.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। महावीर पुत्र श्री जगनाराम जाति नाई निवासी खेरपुरा, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थीगण के पिता वादी संख्या 01 जगनाराम का देहान्त दिनांक 01.04.2022 को हो चुका है परन्तु उक्त मुकदमें के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को प्रार्थी के पिता के द्वारा कभी भी नहीं बताया कि प्रार्थी के पिता ने उक्त शीर्षक का मुकदमा न्यायालय में दर्ज पेश किया हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को नोटिस दिया गया जसे दिनांक 17.12.2024 को प्राप्त हुआ जिस पर प्रार्थीगण माननीय न्यायालय में आये और पता किया कि उक्त शीर्षक का मुकदमा प्रार्थी के पिता द्वारा किया हुआ है। प्रार्थीगण को इस मुकदमें के बारे में पहले से कोई ज्ञान नहीं था इसलिए दिनांक 17.12.2024 को प्रकरण के बारे में जानकारी मिलते ही उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि जगनाराम के वारिसान

- 1.1 महावीर पुत्र श्री जगनाराम जाति नाई निवासी खेरपुरा, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 1.2 सुभाष पुत्र श्री जगनाराम जाति नाई निवासी खेरपुरा, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 1.3 सोमा पुत्री श्री जगनाराम जाति नाई निवासी खेरपुरा, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 1.4 माया पुत्री श्री जगनाराम जाति नाई निवासी खेरपुरा, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 1.5 मीरा पत्नी श्री जगनाराम जाति नाई निवासी खेरपुरा, रेणुका तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

को पक्षकार बनाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा कथन किये गये कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार वादी संख्या 01 के स्थान पर उसके विधिक प्रतिनिधि 1.1 से 1.5 को पक्षकारान के रूप में संयोजित किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक हेतु दिनांक 30.04.2025 को पेश हो।